

माननीय न्याय दंडाधिकारी, (प्रथम वर्ग) रेल्वे न्यायालय, कल्याण

"शिकायत पत्र (BNSS- 2023 धारा 223(1) के तहत)

SCC. No. 8633/26 Date 28/5/26

1) आर.पी.एफ. पोस्ट : कल्याण मण्डल, मुंबई CR. No. 1872/26 धारा 155 रेल अधिनियम
2) घटना की तारीख : 28/5/26 समय 09.25 घटना स्थल Local train
3) आरोपी का नाम : राजीव भादव S/O निराला उम्र 24 वर्ष धन्दा मजदूर
स्थानीय पत्ता : ग्राम खेरी, जि. रामसन, म.प्र.
स्थायी पत्ता : मो. नं. 6285824811

4) आरोपी की चेहरा पट्टी : उँचाई रंग शरीर पहचान चिन्ह
5) फिर्दादी का नाम व पता : प्र. भा. के. सी. मिना
6) आरोपी को गिरफ्तार करने का तारीख : समय स्थान
7) आरोपी को गिरफ्तार करने अधिकारी का नाम और पता :
8) जप्त संपत्ति का विवरण व किमत :
9) रेल्वे को हानी / नुकसान :

10) गिरफ्तारी के कारण (BNSS की धारा 35(1) (b) (II) के तहत

11 दशा

- 1) रेल्वे परिसर में कोई और अपराध को करने से रोकने, रेल यातायात सुनिश्चित करने हेतु।
- 2) अपराध की समुचित जांच करने हेतु।
- 3) अपराध से संबंधित साक्ष्य को प्रभावित करने से निर्धारित करने हेतु।
- 4) मामले से संबंधित तथ्यों से परिचित के उन्हे उजाकर करने आरोपी द्वारा रोकने से निवारित करने हेतु।
- 5) उक्त आरोपी की कोर्ट में उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है।

11) आरोपी की गिरफ्तारी मेमो (द.प्र.सं. की धारा 41(1) (b) (II) के तहत बनाने का

तारीख : समय स्थान

B) गवाहों का विवरण : गवाहों नं. 1
गवाहों नं. 2

C) गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार मित्र जिसे गिरफ्तार की सूचना दी गई (नाम)

12) आरोपी को जांच अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है या नहीं :
13) जांच अधिकारी का नाम व पद : अध. महेश चव्हाण
14) अपराध का संक्षिप्त विवरण :

होममिनि विद्रु ५०० मे वहीन व्यक्ति जोकाय देश के
मोबाइल डिवाइस में प्रजाकरने इत प्रकृ का (किना प्रविधिम) प्रकृ
अपराध कहल करके पर रेल अधिनियम के तहत मानस्य को किना

आरोपी राजीव भादव यांस रेल्वे परिसर में अपराध किया है। अतः मान. रेलवे न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरुद्ध शिकायत पत्र
द. 28/5/2026 तारीख : 28/5/26 घटना स्थल : कल्याण
आरोपी की गिरफ्तारी व तलाशी द.प्र.सं. के प्रावधान के अधीन की गई है और गिरफ्तारी मेमो
आरोपी के रिश्तेदार/मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है एवं गिरफ्तार व्यक्ति को द.प्र.सं.
मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य & डी. के. बसु बनाम प. बंगाल राज्य के
बाद के न्याय निर्णय में दिये गये सभी दिशा निर्देशों और मानवाधिकार का अनुपालन से सभी निदेशों का
पूर्णतः पालन किया गया है।

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग
लोहमार्ग न्यायालय, कल्याण

28/5/26

आरोपी का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी : राजीव

फिर्दादी का हस्ताक्षर

गवाह नं. १ का हस्ताक्षर

गवाह नं. २ का हस्ताक्षर

जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

particulars of the offence and charge
as per rule read over and explained to
the accused.

Q.1 :- Have you understood the s

Ans :- yes

Q.2 :- Do you plead guilty to the
voluntarily ?

Ans :- yes

21/5/26
Accused Sign

Judicial Magistrate, F.C.
Rly. Court, Kalyan

28/5/26

ORDER

U/s 275 of the BNSS, 2023, I accept
the plea of guilt and convict the accused
for Offence Punishable U/s 155 RA

He is sentenced to pay fine of

Rs. 200/- I/D. to suffer S.I
for 2 days

28/5/26
Judicial Magistrate F.C.
Rly. Court, Kalyan

28/5/26

aid 200/-

28/5/26
Sr. Clerk (C & F)
Railway Court, Kalyan.